हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 02/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) तथा धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 9/2025–राज्य कर (दर) दिनांक 17.09.2025, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–2/2025 दिनांक 22.09.2025 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, –

(क) अनुसूची। 2.5% में,

(i) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''सभी सामान अर्थात पशु या वनस्पति उर्वरक या जैविक उर्वरक पूर्व–पैक और लेबलयुक्त।

स्पष्टीकरण.– इस प्रविष्टि के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की अनुसूची 6 के अधीन यथा पंजीकृत, समुद्री शैवाल अर्क आधारित जैव–उद्दीपक (बायो–स्टिमुलेंट्स) सम्मिलित हैं।'';

(ii) क्र. सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

''272क.	4012	रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर'';

(ख) अनुसूची ।। 9% में,

(i) क्र. सं. 138 के सामने, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: –

''रबर के रिट्रीडेड या प्रयुक्त वायवीय टायर (रिट्रीडेड ट्रैक्टर टायर के अलावा); रबर के ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रेड और टायर फ्लैप'';

(ii) क्र. सं. 637 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 02 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 9/2025- State Tax (Rate), published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-2/2025, dated the 22nd September, 2025, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I –2.5%,

(i) against S.No. 237, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -
"All goods i.e. animal or vegetable fertilisers or organic fertilisers prepackaged and labelled.
Explanation. **–** This entry includes, sea-weed extract based bio-stimulants, as registered under Schedule VI to the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.";

(ii) after S. No. 272 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"272A.	4012	Retreaded tractor tyres";

(b) in Schedule II – 9%,

(i) against S. No. 138, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
"Retreaded or used pneumatic tyres of rubber (other than Retreaded tractor tyres); solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber";

(ii) S.No. 637 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 03/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 10/2025–राज्य कर (दर) दिनांक 17.09.2025, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–2/2025 दिनांक 22.09.2025 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 87 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः–

''87क.	1211 90 13	इसबगोल के बीज (इसबगोल)'';

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 03 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 10/2025-State Tax (Rate) dated 17.09.2025, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-2/2025, dated the 22nd September, 2025, namely:-

In the said notification, in Schedule, after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"87A.	1211 90 13	Psyllium seeds (Isobgul/Isobgol)".

2. This notification shall come into force with from 1st November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 04/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–14/2017–लूज दिनांक 30.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''2क.	1518	खाना पकाने का प्रयुक्त तेल	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति'';

(ii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांए और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''3ख.	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति
3ग.	4004	टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति'';

(iii) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''9.	8549	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति'';

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 04 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 4/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(i) after S. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2A.	1518	Used cooking oil	Any unregistered person	Any registered person";

(ii) after S. No. 3A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3B.	3915	Waste and scrap of plastics	Any unregistered person	Any registered person
3C.	4004	Waste and scrap of tyres	Any unregistered person	Any registered person";

(iii) after S. No. 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9.	8549	Electrical and electronics waste and scrap	Any unregistered person	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 05/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018–राज्य कर (दर) दिनांक 31.12.2018, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–33/2018 दिनांक 31.12.2018 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) ''नामित एजेंसी'' से अभिप्राय हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के अपेन्डिक्स 4बी, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर संशोधित किया गया है, में उल्लिखित निकाय से है;।''

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the 31.10.2026.**

Notification No. 05 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 26/2018-State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-33/2018, dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Appendix 4B of Handbook of Procedures, as amended by the Directorate General of Foreign Tradefrom time to time;".

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 06/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1) और (3), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–15/2017 दिनांक 30.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में –

क) मद (i) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

''बशर्ते कि व्यवसाय की समान मराह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी होटल आवास सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई होटल आवास सेवा), सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरणः 'क' ने 'ख' से ₹7,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा बुक की। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, किसी अन्य आपूर्तिकर्ता 'ग' से ₹10,000 प्रति इकाई प्रति दिन की दर पर होटल आवास सेवा प्राप्त करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से राज्य कर (₹900) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5ः की दर से राज्य कर वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई

समान राह में इनपुट सेवा पर केवल ₹250 (₹10,000 का 2.5:) सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹900 का।'';

ख) मद (ii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

''बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट, व्यवसाय की तरह ही इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स केडिट के अलावा (यानी निर्दिष्ट परिसर के अलावा रेस्तरां सेवा के किसी अन्य सेवा प्रदाता से खरीदी गई सेवा), नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]'';

ग) मद (iii) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

''बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट और इनपुट सेवाएँ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी माल की आपूर्ति, मानव उपभोग के लिए भोजन या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय, चाहे ट्रेनों में या प्लेटफार्मों पर, भारतीय रेलवे या आई. आर.सी.टी.सी. या उनके लाइसेंसधारियों से खरीदा गया हो) सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]'';

घ) मद (iv) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

''बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी बाह्य कैटरिंग सेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।'';

ङ) मद (v) के समक्ष, कॉलम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

''बशर्ते कि व्यवसाय की समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा (यानी बाह्य कैटरिंगसेवा के किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई बाह्य कैटरिंग सेवा) सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभावित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।]

बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, यहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरणः 'क' ने 'ख' को विनिर्दिष्ट परिसर से भिन्न परिसर में आयोजित विवाह समारोह के लिए ₹1,00,000 की राशि पर परिसर को किराए पर देने के साथ बाह्य कैटरिंग की सम्मिश्र आपूर्ति हेतु नियोजित किया। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति करने के लिए, ₹60,000 की राशि पर किसी अन्य बाह्य कैटरिंग सेवा प्रदाता 'ग' को नियोजित करता है। 'ग', 'ख' से 9% की दर से राज्य कर (₹5,400) वसूल करता है। 'ख', 'क' से 2.5% की दर से राज्य कर (₹2,500) वसूल करता है। 'ख', 'ग' द्वारा आपूर्ति की गई समान राह में इनपुट सेवा, अर्थात् बाह्य कैटरिंग सेवा, पर केवल ₹1,500 (₹60,000 का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा, न कि ₹5,400 का।'';

(ii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (via) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अतंःस्थापित किया जाएगाः –

(3)	(4)	(5)
''(vib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन द्वारा यात्रियों का परिवहन जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरण. 'A' 1000 रुपये में 'B' को विद्युत संचालित वाहन से नई दिल्ली से गया तक परिवहन के लिए नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72

		रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये।
	या	
	9	-";

iii. क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ia) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अतःस्थापित किया जाएगाः –

(3)	(4)	(5)
"(ib) यात्रियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिंग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में यात्रियों के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरणः 'A' यात्रियों के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।
	या	

	9	-";
''(ic) माल के परिवहन के लिए किसी भी विद्युत संचालित वाहन को किराए पर देना जहां बैटरी चार्जिग की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित है।	2.5	बशर्ते कि व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट (यानी अन्य सेवा प्रदाता से विद्युत संचालित वाहन में माल के परिवहन की सेवा या विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने कि सेवा) के अलावा, सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें।] बशर्ते कि जहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, वहां व्यवसाय कि समान राह में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा। उदाहरणः 'A' माल के परिवहन के लिए विद्युत संचालित वाहन को किराए पर लेने के लिए 'B' को 1000 रुपये में नियुक्त करता है। 'B' उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'C' से 800 रुपये में ऑपरेटर के साथ एक विद्युत संचालित वाहन किराए पर लेता है। 'C' 9% (72 रुपये) की दर से 'B' से राज्य कर वसूलता है। यदि 'B' 2.5% की दर से 'A' से राज्य कर वसूलता है, तो वह 'C' द्वारा समान राह के व्यवसाय की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रुपये का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा नाकि 72 रुपये ।।
	या	
	9	-";

iv. क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (iii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधि प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(3)	(4)	(5)
'(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अलावा डिलीवरी सेवाएं, (क) जिसकी आपूर्ति *इलेक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक* के माध्यम से की जाती है जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप–धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है (ख) वैसे माल के संबंध में, जिस माल की आपूर्ति *इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक* के माध्यम से की जाती है।	2.5	बशर्ते कि डिलीवरी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है (कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें)।'';

(ख) अनुच्छेद 3 को हटा दिया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,

i. खंड (XXXX) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. –

''माल परिवहन एजेंसी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।';

ii. खंड (XXXXiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

''विद्युत चालित वाहन'' का अर्थ ऐसे सड़क वाहन से है जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट की गई एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है और इसमें ई–साइकिल शामिल होगी।''

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 Dated: Shimla-2, the 31.10.2026.

Notification No. 06 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, number 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10-15/2017), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in the Table, -

(i) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), in column (5), the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. hotel accommodation service procured from another supplier of hotel accommodation service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)].

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' books a hotel accommodation from 'B' for ₹7,000 per unit per day. 'B', for supplying the said service, procures hotel accommodation service from another supplier 'C' for ₹10,000 per unit per day. 'C' charges 'B' state tax at the rate of

9% (₹900). 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, 'B' shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of ₹250 (2.5% of ₹10,000) and not ₹900.";

(B) against item (ii), in column (5)**,** the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business **(**i.e. service procured from another service provider of restaurant service other than at specified premises), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]";

(C) against item (iii), in column (5)**,** the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of inputs and input services in the same line of business (i.e. supply of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, whether in trains or at platforms, procured from Indian Railways or IRCTC or their licensees),has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]";

(D) against item (iv), in column (5)**,** the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. Outdoor catering service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken**.**";

(E) against item (v), in column (5)**,** the following entry shall be substituted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. outdoor catering

service procured from another supplier of outdoor catering service), has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)]

Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for a composite supply of outdoor catering together with renting of premises at premises other than specified premises, for a wedding function for ₹1,00,000. 'B', for supplying the said service, engages 'C', another outdoor catering service provider, for ₹60,000. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 9% (₹5,400). 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5% (₹2,500), 'B' shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business, i.e. outdoor catering service supplied by 'C', only to the extent of ₹1500 (2.5% of ₹60,000) and not ₹5,400.**";**

(ii) against serial number 8, after item (via) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vib) Transport of passengers by any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider), has not been taken.[Please refer to *Explanation* No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken. Illustration: 'A' engages 'B' for transportation of passengers from New Delhi to Gaya in an electrically operated vehicle for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' state tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' state tax at

		the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";

(iii) against serial number 10, after item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ib) Renting of any electrically operated vehicle designed to carry passengers where the cost of battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of passengers in an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer to *Explanation* No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. Illustration: 'A' engages 'B' for renting of electrically operated vehicle for transportation of passengers for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' state tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";
"(ic) Renting of any electrically operated vehicle for transportation of goods where the cost of	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. service of transportation of goods by an electrically operated vehicle or service of renting of an electrically operated vehicle, procured from another service provider) has not been taken. [Please refer

battery charging is included in the consideration charged from the service recipient.		to *Explanation* No. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken. Illustration: 'A' engages 'B' for renting of electrically operated vehicle for transportation of goods for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, rents an electrically operated vehicle with operator from 'C' for Rs. 800.'C' charges 'B' state tax at the rate of 9% (Rs. 72). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 72.
	or	
	9	-";

(iv) in column 12, for item (iii) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Delivery services, other than (i) and (ii) above, (a) supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (b) in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying delivery service has not been taken [Please refer to *Explanation* No. (iv)].";

(b) paragraph 3 shall be omitted;

(c) in paragraph 4, relating to Explanation,

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted: -

'(xxxx) "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.'

(ii) after clause (xxxxiv), the following clause shall be inserted, namely:-

'(xxxxv) "electrically operated vehicle" means a road vehicle which runs solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such vehicle and shall include E-bicycles;'.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 07/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), और धारा 148 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–15/2017 दिनांक 30.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

''(कक) सीट–शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले'';

(ii) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 21क के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के वाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''स्पष्टीकरण.– इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की जाती है'';

(iv) क्रम संख्या 24ख के स्थान पर, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ।'':

(v) क्रम संख्या 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''31 कक	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966) का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य'';

(vi) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''42 क	शीर्षक 9973	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पहुंच, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य'';

(vii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54 क	शीर्षक 9986	कॉफी की खेती करने वालों को आपूर्ति की जाने वाली कॉफी के इलाज के माध्यम से सेवाएं। स्पष्टीकरण इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, ''उपचार'' का वही अर्थ होगा जो इसके लिए कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया) है।	शून्य	शून्य'';

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (जेडई) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''माल परिवहन एजेंसी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।'';

(ii) खंड (जेडजेडसी) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित जाएगा, अर्थातः–

''(जेडजेडसीए) 'बीज' का अर्थ है किसी भी प्रकार का जीवित भ्रूण या प्रसार, जिसमें अंकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कटिंग, सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिशू कल्बर प्लांटलेट, सिंथेटिक बीज और अन्य वानस्पतिक रूप से प्रसारित सामग्री शामिल हैं, जो पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हैं और एक ऐसे पौधे को जन्म देते हैं जो इस प्रकार के लिए सही है जिस पर इसका उत्पादन किया गया था, संकर के बीज के मामले को छोड़कर जहां प्रदर्शन केवल पहली संतान पीढ़ी के लिए सुनिश्चित किया जाता है और इसमें बीज शामिल हैं–

(i) अनाज, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, रेशे वाली फसलें, चारा और चारा फसलें, हरी खाद, चीनी की फसलें; तथा

(ii) फल, सब्जियां, मसाले, फूलों की फसलें, सजावटी फसलें, वृक्षारोपण फसलें'';

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 30.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 07 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, number 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10-15/2017, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(a) in the Table -

(i) against serial number 15, in column(3), after item (a), the following item shall be inserted, namely: -

"(aa) air in a helicopter on seat share basis, embarking from or terminating in an airport including a helipad located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim,Tripura or at Bagdogra located in West Bengal";

(ii) against serial number 18, in column (3), the explanation shall be omitted;

(iii) against serial number 21A, in column(3), after clause (f), the following explanation shall be inserted, namely: -

"*Explanation.* - Nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.";

(iv) against serial number 24B, in column(3), the following shall be substituted, namely: -

"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, vegetables, and seeds meant for sowing";

(v)after serial number 31A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31AA	Heading 9971or Heading 9991	Services by Seamen's Provident Fund Organisation to persons governed by the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).	Nil	Nil";

(vi)after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42A	Heading 9973	Services by way of grant of exclusive right of way or access, license and authority to demand, collect and appropriate toll feeby the Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority, Governmental Authority or Government Entity.	Nil	Nil";

(vii)after serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54A	Heading 9986	Services by way of curing of coffee supplied to coffee cultivators. *Explanation*- For the purposes of this entry, "curing" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 3 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).	Nil	Nil";

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted: -

'(xxxx) "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.'

(ii) after clause (zzc), the following clause shall be inserted, namely: -

'(zzca) "seed" means any plant material, including seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, all types of grafts, tissue culture plantlets, and other vegetatively propagated material, used or intended for use in propagation or sowing, and includes –

(i) seeds of cereals, coarse cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage and fodder crops, green manures, sugar crops;
(ii) seeds of fruits, vegetables, spices, flower crops, ornamental crops and plantation crops; and
(iii) planting material.'.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 08/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–15/2017 दिनांक 30.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंक ''6'' के स्थान पर, अंक ''9'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 08 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, number 13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10-15/2017, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 15, in column (3), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 09/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–15/2017 दिनांक 30.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में खंड (V) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा–

''(V) डाक तथा कूरियर सेवाओं को छोड़कर अन्य डिलीवरी सेवाएँ, सिवाय वहां जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप–धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।''

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the 31.10.2026.**

Notification No. 09 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, number 17/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10-15/2017) dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, for clause (v),the following clause shall be substituted, namely:–

"(v) Delivery services, other than postal and courier services, except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017."

2. This notification shall come into force with effect from1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 10/2026–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, पंजीकृत व्यक्ति के निम्नलिखित वर्ग को अधिसूचित करते है, अर्थात्:–

1. किसी रियायत समझौते के अंतर्गत रियायतकर्ता, जो कि रियायत अवधि के दौरान रियायत प्राधिकारी को प्रचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में, जो ऐसे प्रचालन और रख–रखाव सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य कर का संदाय, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा प्रचालन और रख–रखाव खर्चों के संबंध में रियायत करार के अनुसार संधारित एस्क्रो खाते से प्रभारित या डेविट की गई राशि पर, उस कर अवधि में, उस कर अवधि में करेंगे जिसमें ऐसा खर्च इस प्रकार प्रभारित या डेबिट किया जाता है।

2. स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन से,

(i) ''रियायत समझौता का अर्थ टोल–ऑपरेट–ट्रांसफर मॉडल के तहत एक रियायतकर्ता और रियायत प्राधिकारी के बीच किया गया एक समझौता है, जिसके तहत रियायतकर्ता को राजमार्ग या सड़क अवसंरचना के संबंध में टोल (पथकर) की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के विशेष अधिकार दिए जाते हैं और रियायत अवधि के दौरान ऐसे राजमार्ग या सड़क अवसंरचना का संचालन और रखरखाव करने की आवश्यकता होती है जहां रियायतकर्ता को रियायत शुल्क का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है;

(ii) ''रियायत प्राधिकारी का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई जो रियायत समझौते में भाग लेती है।

3. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 10 /2026-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the following class of registered person, namely: -

(i) Concessionaire under a concession agreement, who supplies operation and maintenance services to the concessioning authority during the concession period, as the registered persons, who shall pay state tax on the supply of such operation and maintenance services on the amount charged or debited from the Escrow Account, maintained in accordance with the concession agreement, towards operation and maintenance expenses incurred by such registered persons, in a tax period in which such expenditure is so charged or debited.

2. *Explanation*:- For the purpose of this notification,-

(i) "Concession Agreement" means an agreement entered into between a concessionaire and the concessioning authority under the Toll-Operate-Transfer model, whereby the concessionaire is granted the exclusive rights to demand, collect and appropriate toll in respect of a road or highway and is required to operate and maintain such road or highway during the concession period where the concessionaire is required to pay the concession fee upfront;

(ii) "Concessioning authority" means the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity which enters into the Concession Agreement.

3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 06/2026–राज्य कर

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017–राज्य कर दिनांक 24.06.2017, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–13/2017 दिनांक 24.06.2017 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, अर्थात्:–

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप।''।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 06 /2026-State Tax

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 5/2017-State Tax, dated the 24.06.2017, was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-13/2017, dated the 24th June, 2017, namely:-

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of any of the following goods, namely: -

(i) used cooking oil falling under heading 1518 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) waste and scrap of plastics falling under heading 3915 of the said First Schedule;

(iii) waste and scrap of tyres falling under heading 4004 of the said First Schedule;

(iv) metal scrap falling under Chapters 72 to 81 of the said First Schedule; or

(v) electrical and electronics waste and scrap falling under heading 8549 of the said First Schedule.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई0एक्स0एन0. एफ(10)–4/2026 दिनांकः शिमला–2 31.10.2026

अधिसूचना संख्याः 07/2026–राज्य कर

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 51 के साथ पठित धारा (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018–राज्य कर दिनांक 18.09.2018, जोकि राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में, संख्या ई0एक्स0एन0. एफ(10)–24/2018–लूज दिनांक 18.09.2018 के तहत प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति प्राप्त करता है, अर्थात्:–

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;
(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;
(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;
(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या
(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप।''।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा

सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

[Authoritative English text of this Department's Notification No. EXN-F(10)-4/2026 dated 31.10.2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

EXN-F(10)-4/2026 **Dated: Shimla-2, the** **31.10.2026.**

Notification No. 07 /2026-State Tax

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendment in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 50/2018-State Tax, dated 18.09.2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-24/2018-Loose, dated the 18th September, 2018, namely: -

In the said notification, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) any registered person receiving supply of any of the following goods from another registered person, namely: -

(i) used cooking oil falling under heading 1518 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) waste and scrap of plastics falling under heading 3915 of the said First Schedule;

(iii) waste and scrap of tyres falling under heading 4004 of the said First Schedule;

(iv) metal scrap falling under Chapters 72 to 81 of the said First Schedule; or

(v) electrical and electronics waste and scrap falling under heading 8549 of the said First Schedule";

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

By order

Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh.